महाराष्ट्र विज्ञान वर्धिनी - आघारकर अनुसंधान संस्थान, पुणे - 41 1004

MAHARASHTRA ASSOCIATION FOR THE CULTIVATION OF SCIENCE - AGHARKAR RESEARCH INSTITUTE, Pune - 41 1004

संतान शिक्षा भत्ता की प्रतिपूर्ति के लिए प्रपत्र CLAIM FOR RE-IMBURESMENT OF CHILDREN EDUCATION ALLOWANCE

शैक्षिक/ अकादिमक वर्ष के लिए मांग [Claim For The Academic Year:] 20.. - 20..

मैं एतद् द्वारा अपनी संतान/संतानों के लिए संतान शिक्षा भत्ता/छात्रावास अनुवृत्ति की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन करता हूँ तथा संबंधित विवरण नीचे प्रस्तत किए गए है:-

I hereby apply for the reimbursement of Children Education Allowance / Hostel Subsidy for my child / children and relevant particulars are furnished below:-

1.	कर्मचारी का नार Name of the			:			
2.	पदनाम Designation						
3.	संस्थान का नाम Name of the Institution				म.वि .व आघारकर अनुसंधान संस्थान, पुणे MACS - Agharkar Research Institute, Pune		
4.	यदि पति/पत्नी कार्यरत है, निर्दिष्ट करें कि क्या केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, राज्य सरकार में (पति/पत्नी के नाम के साथ विवरण दें) If Spouse is employed, state whether in Central Govt., PSU, State Govt. (give details with name of the Spouse)			:			
5.		का विवरण जिसके लिए संतान शिष्ट ne child /children for whon					
	अनुक्रम	संतान का नाम	जन्म	तिथि	कक्षा (शैक्षिकवर्ष -	विद्यालय/ संस्थान का नाम	
	Sequence	Name of child	D	OB	2020)	एवं स्थान	
					Standard (A.Y. 2020)	Name & Place of the School / Institution	
	प्रथम संतान						
	1 st Child						
	द्वितीय संतान						
*	2 nd Child	र गारूमी मेनकों के नो मनमे नने जीविन	<u> </u>		<u> </u>	·	

व्यय की प्रतिपूर्ति:-

Re-imbursement of Expenditure:-

अनुक्रम	शैक्षिक वर्ष	संतान शिक्षा भत्ता दर	दावे की राशि	भुगतान के लिए	टिप्पणियाँ
Sequence	Academic Period	Rate of CEA	Amount	पारित	Remarks
		(₹)	claimed	Passed For	
प्रथम संतान					
1 st Child					
द्वितीय संतान					
2 nd Child					
		दावा की गई कुल राशि ₹ Total amount claimed ₹			

^{*} प्रतिपूर्ति की अनुमति केवल सरकारी सेवकों **के दो सबसे बड़े जीवित बच्चों के लिए** दी जाती है, सिवाय इसके कि जब दूसरे बच्चे के जन्म के परिणामस्वरूप अलग-अलग जन्म हों।

^{*}Reimbursement is allowed **only for two eldest surviving** Children of Govt. servant except when the 2nd child birth results in multiple births

- कर्मचारी के आवास से संतान के छात्रावास की दूरी (छात्रावास अनुवृति के मामले में): Distance of Hostel of child from residence of employee (in case Hostel Subsidy): शैक्षिक वर्ष जिसके लिए अब संतान शिक्षा भत्ता/ छात्रावास अनुबृति के लिए आवेदन किया गया है : 8. The Academic year for which CEA / Hostel Subsidy is applied now: (क) संतान, जिसके लिए संतान शिक्षा भत्ता का आवेदन किया गया है; क्या वह दिव्यांग है: हाँ / नहीं (a) Whether the child for whom the CEA is applied for is a disabled child: Yes/No (ख) यदि हॉ/ दिव्यांगता की प्रकृति इंगित करें : (b)If yes, indicate the nature of disability: (ग) दिव्यांगता प्रमाण पत्र की तिथि: (c)Date of disability certificate: (घ) दिव्यांगता का प्रतिशत इंगित करें: (d) Indicate the percentage of disability: क्या संस्थान के अध्यक्ष से वास्तविक प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है - हाँ/ नहीं 10. Whether the Bonafide certificate from Head of Institution has been attached: Yes/No छात्रावास अनुवृति के लिए, वास्तविक प्रमाण पत्र, राशि का उल्लेख कर संलग्न है – हाँ/ नहीं 11. For Hostel Subsidy, the Bonafide certificate from mentioning the amount is attached: Yes/No यदि हाँ, मद संख्या 15 पर, छात्रावास अनुवृति के लिए दावा की गई राशि: 12 (क) प्रमाणित करता हूँ कि मेरी पत्नी/पति केंद्र सरकार के कर्मचारी नहीं है। 13. (a) Certified that I or my wife / husband is / is not a Central Government servant. (ख) प्रमाणित करता हूँ कि मेरी पत्नी/पति /श्रीमती/श्री. — के रूप में कार्यरत हैं और उन्होनें उपर्युक्त संतान/संतानों के लिए संतान शिक्षा भत्ता के लिए आवेदन नहीं किया है/करेंगें। Certified that my wife / husband Sri / Smt is presently working as: and that he / she shall not apply / has not applied for the Children Education Allowance for the child /children mentioned above. (ग) प्रमाणित करता हूँ कि मैंने या मेरी पत्नी/पति ने किसी अन्य स्रोत से इस प्रतिपूर्ति का दावा नहीं किया है और ना ही भविष्य में करेंगे। (c)Certified that I or my wife / husband has not claimed this re-imbursement from any other source and will not claim the same in future. प्रमाणित करता हूँ कि मेरी संतान जिसके संबंध में संतान शिक्षा भत्ता की प्रतिपूर्ति का आवेदन किया गया है, विद्यालय/अवर कॉलेज में 14. पढ़ रहा/रही है जो कि मान्यता प्राप्त है तथा शिक्षा बोर्ड/ महाविद्यालय से सम्बद्द है। Certified that my child in respect of whom re-imbursement of Children Education Allowance is applied is studying in the School / Jr. College which is recognized and affiliated to Board of Education / University. प्रमाणित करता हूँ कि मैं केवल अपने दो ज्येष्ठ जीवित संतानो के संबंध में संतान शिक्षा भत्ता का दावा कर रहा हूँ, उपर्युक्त प्रस्तुत की गई 15.
- 15. प्रमाणित करता हूँ कि मैं केवल अपने दो ज्येष्ठ जीवित संतानों के संबंध में संतान शिक्षा भत्ता का दावा कर रहा हूँ, उपर्युक्त प्रस्तुत की गई जानकारी पूर्ण एवं सही है, तथा मैंने कोई भी संबंधित जानकारी नहीं छिपाई हैं। मैं उपर्युक्त प्रस्तुत किए गए विवरण में किसी परिवर्तन की स्थिति में जो कि संतान शिक्षा भत्ता के लिए मेरी पात्रता को प्रभावित करता हो, की जानकारी तुरंत सूचित करने तथा यदि मुझे कोई अधिक अदायगी की गई हो तो उसकी वापसी की जिम्मेदारी लेता हूँ। आगे, मैं इस तथ्य से अवगत हूँ, कि यदि किसी भी स्तर पर मेरे द्वारा उपर्युक्त प्रस्तुत की गई जानकारी/ दस्तावेज गलत पाई जाती है तो मैं अनुशासनिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी हूँ।

Certified that I am claiming the CEA in respect of my two eldest surviving children only. The information furnished above is complete and correct and I have not suppressed any relevant information. In the event of any change in the particulars given above which affect my eligibility for reimbursement of Children Education Allowance, I undertake to intimate the same promptly and also to refund excess payments, if any. Further, I am aware that if at any stage the information / documents furnished above are found to be false, I am liable for disciplinary action.

तिथि [Date] :		(सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर)
स्थान [Place]:		(Signature of Employee)
		नाम [Name] —
		पद [Designation]–
प्रभारी के माध्यम से अग्रेषित:		
Forwarded through Incharge:		
केव	वल कार्यलयीन / शासकीय उपयोग के	<u>; लिए</u>
	FOR OFFICE USE ONLY	
संतान शिक्षा भत्ता का दावा ₹	(रुपये	
पारित किया गया और वाउचर संख्या	_ दिनांक के माध्यम से उसके वेत	तन बैंक खाते में जारी/जमा किया गया भुगतान।
संतान शिक्षा भत्ता दावा रजिस्टर में पृष्ठ संख्या	के माध्यम से आवश्यक प्रविष्टियां	दर्ज की गई हैं।
CEA claim Passed for ₹	(Rupees)
and payment released/credited to his	her Salary Bank Account vide Vouch	er No dated
Necessary entries have been recorded	d in CEA Claim Register vide Page No	0
संबंधित कर्मचारी	अधिकारी-ब	वित्त एवं लेखा अधिकारी
Dealing Hand	Officer –B	F.A.O.

स्वीकृत **निदेशक**

Sanctioned **Director**

संस्थान / विद्यालय के प्रमुख से प्रमाण पत्र

(संतान शिक्षा भत्ता की प्रतिपूर्ति के लिए)

$\frac{\text{CERTIFICATE FROM THE HEAD OF INSTITUTION }/\text{SCHOOL}}{(\text{FOR REIMBURSMENT CEA})}$

संदर्भ संख्या[Ref. N	No.]:		दिनांक [Date]:		
यह प्रमाणित र्	केया जाता है कि मास्टर/कुमारी ₋		, प्र	वेश क्रमांक	
जन्मतिथि	, श्रीमान / श्रीमती	क	ा पुत्र / पुत्री,	पिछले वर्ष के दौरान	
कक्षा अनुष	गग अनुक्रमांक	शैक्षणिक वर्ष 20	से 20	तक विद्यालय/ संस्थान,	
नामत:	संबंधन पंर	जीकरण क्रमांक/कोड	तथा पैट	र्न /स्वरूप	
D.O.B	fied that Master/Kuma , Son/Daughter of Mr Roll Nodurin	:./Mrs		was studying in	
School/Institution,	namely			vid	
affiliation Regd No.	/Code	and pattern		Curriculum	
स्थान [Place]:				के हस्ताक्षर	
तिथि [Date]:			•	त्रेद्यालय मोहर) of principal	

(Affix School Stamp)

स्व घोषणापत्र SELF DECLARATION

मैं		एमएसीएस - आघारकर अनु	संधान संस्थान, पुणे के साथ काम
कर रहा हूं, एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि			
कक्षाअनुभागअ			
शैक्षणिक वर्ष के दौरान पढ़ती/पढ़ता थी/थ			
मैं उपर्युक्त प्रस्तुत किए गए विवर	एण में किसी प	परिवर्तन की स्थिति में जो कि	संतान शिक्षा भत्ता के लिए मेरी
पात्रता को प्रभावित करता हो की जानकार्र	ो तुरंत सूचित	। करने तथा यदि मुझे कोई अ	धिक अदायगी की गई हो तो उसकी
वापसी की जिम्मेदारी लेता हूँ।			
I	v	working with MACS-A	Agharkar Research Institute,
Pune do hereby certify that my S			
in Class Sec			
Year in		Sch	ool.
	e in the pa	urticulars given above w	which affect my eligibility for
In the event of any chang	e in the pa	urticulars given above w	which affect my eligibility for
In the event of any chang Children Education Allowance. I	e in the pa	urticulars given above w	which affect my eligibility for
In the event of any chang Children Education Allowance. I	e in the pa	urticulars given above w	which affect my eligibility for
In the event of any chang Children Education Allowance. I	e in the pa	urticulars given above w	which affect my eligibility for
In the event of any chang Children Education Allowance. I	e in the pa	urticulars given above w	which affect my eligibility for
In the event of any chang Children Education Allowance. I payment, if any made to me.	e in the pa	urticulars given above w	which affect my eligibility for promptly and refund excess